**भारत सरकार**
**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय**
**कृषि एवं किसान कल्याण विभाग**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 324**
**05 दिसम्बर, 2023 को उत्तरार्थ**

**विषय: शीतागार भण्डारण सुविधाएं**

**324. श्री महेश साहू:**
**श्री श्याम सिंह यादव**

**क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उचित भंडारण सुविधा के अभाव में बड़ी मात्रा में खाद्य और कृषि उत्पाद सड़ जाते हैं और उपयोग के लायक नहीं रहते हैं;
(ख) देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश राज्य में सरकारी शीतागार इकाइयों की जिला-वार संख्या कितनी है;
(ग) क्या देश में शीतागारों की कोई कमी है;
(घ) सरकार द्वारा विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश राज्य के जौनपुर जिले में शीतागारों के विकास के लिए कितना निवेश किया गया है;
(ड.) क्या सरकार द्वारा आगामी पांच वर्षों में स्थापित की जाने वाली शीतागार इकाइयों की संख्या के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है और यदि हां, तो देश में तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(च) सरकार द्वारा उक्त लक्ष्य को कब तक प्राप्त करने का विचार है?

**उत्तर**
**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)**

**(क)** वर्ष 2022 में प्रकाशित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए और नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज (एनएबीसीओएनएस) द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, चयनित फसलों में मात्रात्मक फसल और फसलोपरान्त नुकसान की मात्रा 3.89% से 5.92% (अनाज), 5.65% से 6.74% (दलहन), 2.87% से 7.51% (तिलहन), 6.02% से 15.05% (फल) और 4.87% से 11.61% (सब्जियां) की रेंज में देखी गई।

**(ख) एवं (ग):** वर्ष 2015 में नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज (एनएबीसीओएनएस) द्वारा "अखिल भारतीय शीत श्रृंखला अवसंरचना क्षमता (एआईसीआईसी-2015)" पर किए गए अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2014 में 318.23 लाख मीट्रिक टन की मौजूदा क्षमता की तुलना में उस समय कोल्ड स्टोरेज की अपेक्षित क्षमता 351.00 लाख मीट्रिक टन थी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्तमान में, उत्तर प्रदेश सहित देश में 8653 कोल्ड स्टोरेज हैं, जिनकी अब तक क्षमता 394.17 लाख मीट्रिक टन है। कोल्ड स्टोरेज के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-I** पर दिए गए हैं।

**(घ) से (च):** सरकार विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है जिसके तहत उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में शीघ्र खराब होने वाली बागवानी उपज के लिए कोल्ड स्टोरेज की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) का कार्यान्वयन कर रहा है जिसके तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त वार्षिक कार्य योजना (एएपी) के आधार पर देश में 5000 मीट्रिक टन तक की क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण सहित विभिन्न बागवानी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एएपी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकता, क्षमता और संसाधनों की

उपलब्धता के आधार पर तैयार किए जाते हैं। कोल्ड स्टोरेज का घटक मांग/उद्यमी द्वारा संचालित है जिसके लिए क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड सब्सिडी के रूप में सरकारी सहायता संबंधित राज्य बागवानी मिशनों के माध्यम से सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत के 35% और पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजना लागत के 50% की दर पर उपलब्ध है।

योजना के तहत, व्यक्तियों, किसानों/उत्पादकों/उपभोक्ताओं के समूहों, साझेदारी/स्वामित्व वाली फर्मों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों, सहकारी विपणन संघों, स्थानीय निकायों, कृषि उपज बाज़ार समितियों (एपीएमसी) और विपणन बोर्ड और राज्य सरकारों को सहायता उपलब्ध है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) "बागवानी उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज और भंडारण के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी" नामक एक योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। योजना के तहत, 5000 मीट्रिक टन से अधिक और 10000 मीट्रिक टन तक की क्षमता के कोल्ड स्टोरेज और नियंत्रित वातावरण (सीए) स्टोरेज के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजी लागत का 35% और पूर्वोत्तर, पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में 50% की दर से क्रेडिट लिंक्ड बैक-एंडेड सब्सिडी उपलब्ध है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के मामले में, 1000 मीट्रिक टन से अधिक क्षमता वाली इकाइयाँ भी सहायता के लिए पात्र हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) बागवानी और गैर-बागवानी उपज के फसलोपरान्त नुकसान को कम करने और उनकी उपज के लिए किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) के घटकों में से एक के रूप में एकीकृत शीत श्रृंखला, खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण अवसंरचना के लिए एक योजना का कार्यान्वयन करता है। योजना के तहत, मंत्रालय भंडारण और परिवहन अवसंरचना के लिए सामान्य क्षेत्रों के लिए 35% और पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों, आईटीडीपी क्षेत्रों और द्वीपों के लिए 50% की दर पर तथा विकिरण सुविधा सहित एकीकृत शीत श्रृंखला परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्रति परियोजना 10.00 करोड़ रुपये की अधिकतम सहायता अनुदान के अध्यधीन मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण अवसंरचना के लिए क्रमशः 50% और 75% की दर पर सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। स्टैंडअलोन कोल्ड स्टोरेज इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।

केंद्रीय स्तर पर जिलेवार और घटकवार डेटा का रखरखाव नहीं किया जाता है। हालाँकि, कोल्ड स्टोरेज सहित बागवानी क्षेत्र के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों को जारी की गई धनराशि का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

**लो.स.अता.प्र.सं.324**

**अनुबंध-I**

## देश में 20.11.2023 तक कोल्ड स्टोरेज का राज्य-वार वितरण

| क्र.सं. | राज्य का नाम | कुल | |
|---|---|---|---|
| | | संख्या | क्षमता (एमटी) |
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (यूटी) | 4 | 2210 |
| 2 | आंध्र प्रदेश और तेलंगाना | 467 | 1893071 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 2 | 6000 |
| 4 | असम | 45 | 216388 |
| 5 | बिहार | 313 | 1476557 |
| 6 | चंडीगढ़ (यूटी) | 7 | 12462 |
| 7 | छत्तीसगढ | 120 | 553832 |
| 8 | दिल्ली | 97 | 129857 |
| 9 | गोवा | 29 | 7705 |
| 10 | गुजरात | 1014 | 3974593 |
| 11 | हरियाणा | 382 | 867884 |
| 12 | हिमाचल प्रदेश | 89 | 174072 |
| 13 | जम्मू एवं कश्मीर | 89 | 341515 |
| 14 | झारखंड | 60 | 248629 |
| 15 | कर्नाटक | 250 | 838940 |
| 16 | केरल | 202 | 96655 |
| 17 | लक्षद्वीप (यूटी) | 1 | 15 |
| 18 | मध्य प्रदेश | 315 | 1364003 |
| 19 | महाराष्ट्र | 656 | 1176499 |
| 20 | मणिपुर | 2 | 4500 |
| 21 | मेघालय | 4 | 8200 |
| 22 | मिजोरम | 3 | 4071 |
| 23 | नागालैंड | 5 | 8150 |
| 24 | ओडिशा | 182 | 579321 |
| 25 | पुदुचेरी (यूटी) | 4 | 185 |
| 26 | पंजाब | 761 | 2588686 |
| 27 | राजस्थान | 191 | 652879 |
| 28 | सिक्किम | 2 | 2100 |
| 29 | तमिलनाडु | 188 | 399690 |
| 30 | तेलंगाना | 108 | 541397 |
| 31 | त्रिपुरा | 14 | 46354 |
| 32 | उत्तर प्रदेश | 2472 | 15045874 |
| 33 | उत्तराखंड | 60 | 206621 |
| 34 | पश्चिम बंगाल | 515 | 5948316 |
| | **कुल** | **8653** | **39417231** |

(स्रोत: 2009 तक विपणन और निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई), राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी), राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य बागवानी मिशन (एचएमएनईएच) और एमओएफपी I

**लो.स.अता.प्र.सं.324**

**अनुबंध - II**

**कोल्ड स्टोरेज सहित बागवानी क्षेत्र के विकास के लिए राज्यों को जारी धन का विवरण**

| क्र.सं. | राज्य | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|---|---|---|---|---|
| | | निर्मुक्ति (भारत सरकार) | निर्मुक्ति (भारत सरकार) | निर्मुक्ति (भारत सरकार) |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 95.00 | 50.00 | 50.00 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 8.00 | 4.40 | 9.00 |
| 3 | असम | 45.00 | 27.00 | 27.00 |
| 4 | बिहार | 15.87 | 9.60 | 15.00 |
| 5 | छत्तीसगढ | 85.00 | 63.00 | 60.00 |
| 6 | गोवा | 0.00 | 0.60 | 0.60 |
| 7 | गुजरात | 30.00 | 87.18 | 20.50 |
| 8 | हरियाणा | 89.32 | 46.00 | 32.40 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 20.00 | 11.00 | 17.50 |
| 10 | जम्मू एवं कश्मीर | 72.18 | 67.75 | 34.25 |
| 11 | झारखंड | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | कर्नाटक | 113.66 | 54.00 | 78.83 |
| 13 | केरल | 10.00 | 28.00 | 21.00 |
| 14 | मध्य प्रदेश | 27.00 | 0.00 | 22.00 |
| 15 | महाराष्ट्र | 63.50 | 18.63 | 63.00 |
| 16 | मणिपुर | 25.30 | 10.94 | 13.00 |
| 17 | मेघालय | 7.25 | 8.60 | 7.84 |
| 18 | मिजोरम | 40.00 | 6.75 | 15.99 |
| 19 | नागालैंड | 26.00 | 11.70 | 15.00 |
| 20 | ओडिशा | 11.00 | 11.00 | 20.50 |
| 21 | पंजाब | 22.50 | 8.22 | 15.55 |
| 22 | राजस्थान | 30.00 | 10.00 | 19.50 |
| 23 | सिक्किम | 19.85 | 10.93 | 16.87 |
| 24 | तमिलनाडु | 114.73 | 75.00 | 102.40 |
| 25 | तेलंगाना | 16.15 | 0.00 | 4.74 |
| 26 | त्रिपुरा | 10.00 | 9.00 | 14.77 |
| 27 | उत्तर प्रदेश | 64.16 | 32.00 | 44.64 |
| 28 | उत्तराखंड | 45.00 | 22.00 | 34.25 |
| 29 | पश्चिम बंगाल | 10.00 | 0.00 | 17.25 |
| 30 | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 0.30 | 0.53 | 0.53 |
| 31 | चंडीगढ़ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | दादरा एवं नगर हवेली | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | दमन और दीव | 0.00 | 0.00 | |
| 34 | दिल्ली | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | लक्षद्वीप | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | पुदुचेरी | 1.40 | 0.00 | 0.70 |
| 37 | लद्दाख | 15.00 | 25.82 | 26.25 |
| | **कुल** | **1143.17** | **709.65** | **820.86** |

******